उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचने के दौरान हर स्तर पर बढ़ी कीमतों का देना होगा ब्यौरा

उपभोक्ताओं को अब और चूना नहीं लगा सकेंगी कंपनियां

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। अब कोई भी कंपनी अपने उपभोक्ताओं को चूना नहीं लगा पाएगी। कंपनियां को उत्पाद के तैयार होने में आई लागत से लेकर बाजार तक पहुंचे के दौरान हर स्तर पर होने वाली बढ़ोतरी का ब्यौरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देना होगा। इससे एक ओर जहां उपभोक्ताओं को वाजिब दाम ही चुकाने पड़ेंगे, वहीं कंपनियां के लिए कर चोरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। यह जानकारी राजधानी के गोमतीनगर स्थित आईसीएआई भवन में कास्ट ऑडिट व एक्सबीआरएल ई-फाइल कम्पलायंस रिपोर्ट विषयक कार्यशाला में राकेश सिंह ने दी।

द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के प्रेसिडेंट राकेश सिंह ने बताया कि अब सभी कंपनियों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) का इस्तेमाल करना होगा। इसके आधार पर उत्पाद के लिए उपभोक्ता से ली जाने वाली कीमतों का आंकलन किया जा सकेगा। इस दौरान, कंपनी को उत्पाद के बाजार तक पहुंचने के विभिन्न स्तरों यानी सप्लायर व रिटेलर के स्तर पर बढ़ाई गई कीमतों का भी ब्यौरा देना होगा। यदि कोई कंपनी अधिक कीमतें वसूलती हुई पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देश भर की करीब 30 हजार कंपनियां एक्सबीआरएल से जुड़ी है।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के एडवाइजर (कास्ट) बीएल गोयल थे। इस मौके पर एनआईआरसी के चेयरमैन विजेंद्र शर्मा, लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन सुनील सिंह, वाइस चेयरमैन सीमा सिंह समेत भारी संख्या में सदस्य व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

आईसीएआई भवन में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते आईसीएआई प्रसिडेंट राकेश सिंह व अन्य।

कॉस्ट अकाउंटेंट से सीए बनना होगा आसान

लखनऊ। अब कास्ट अकाउंटेंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। कास्ट अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के इच्छुक स्टूडेंट्स को एक ही संस्थान का फाउंडेशन कोर्स करना होगा। कास्ट अकाउंटेंट का फाउंडेशन कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट का फाउंडेशन कोर्स में दाखिला लेने की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी आईसीएआई प्रेसिडेंट राकेश सिंह ने 'अमर उजाला' के साथ खास बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि देश की तीनों बड़ी संस्थाएं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स की पहल पर तीनों संस्थाओं के बीच एक समन्वय समिति गठित की गई है। अगर सहमति बनती है तो फाइनेंशियल लॉ, डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्सेज जैसे समान पेपर को मिला दिया जाएगा। यानी दूसरे संस्थान में भी दाखिला लेने पर स्टूडेंट्स को कॉमन पेपर की परीक्षा नहीं देनी होगी। साथ ही इससे विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सस्ते आयातों पर रोक के साथ ही कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। इससे सरकारी विभागों को गलत या अधूरी सूचना देकर टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। उन्होंने बताया कि एक्सबीआरएल के माध्यम से सभी कंपनियों से सूचनाएं प्राप्त कर ली जाएगी। बाद में इसे सभी विभागों को भेज दी जाएगी। इससे सरकारी विभागों को गलत सूचना देनी वाली कंपनियों पर लगाम कसी जा सकेगी।

काले धन को विदेश ले जाना होगा मुश्किल

फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एक्सबीआरएल का इस्तेमाल करने से काले धन को विदेश जाने रोकने व हवाला कारोबार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसके तहत सभी बैंकों को अपने लेन-देन का पूरा ब्यौरा एक्सबीआरएल में देना होगा। इसमें विदेशी बैंकों को भेजे गए पैसों व अन्य सूचनाएं भी होंगी। बताया जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से सभी बैंकों के लिए एक्सबीआरएल पर सूचनाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा।

क्या है एक्सबीआरएल

कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पहले बैलेंस शीट से लेकर सभी दूसरी चीजों को हाथ से लिखकर पीडीएफ फाइल के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजा जाता था। सूचनाएं अधिक होने व सारा काम मानव संसाधन के माध्यम से होने के कारण आम तौर पर कंपनियां जरूरी जानकारियों को छिपा लेती थी। इससे टैक्स चोरी, हवाला कारोबार जैसे कारनामों को आसानी से अंजाम दिया जा सकता था। इसको दूर करने के लिए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) की शुरुआत की गई है। इसके तहत एक प्रारूप में सारी जानकारियां मांगी जाती हैं, जिसे सीधे ही ऑनलाइन कर दिया जाता है।